वन अधिकार मान्यता पत्र एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / एफ–11–9 / 1998–एफसी दिनांक 03.08.2009)

साउथ इर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड कोरबा क्षेत्र के बगदेवा भूमिगत परियोजना जिला कोरबा वन मण्डल कटघोरा, वन परिक्षेत्र, कटघोरा, तहसील कटघोरा में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित राजस्व वन भूमि 81.364 हे. क्षेत्र का ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र एवं उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कटघोरा जिला कोरबा का प्रमाण पत्र पृष्ठ कं. 273 में संलग्न है। वन अधिकार मान्यता पत्र एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने हेतु एसईसीएल कोरबा क्षेत्र का वचन पत्र संलग्न है।

30/8/23
उपक्षेत्रीय प्रबंधक
ढेलवाडीह–सिंघाली–बगदेवा उपक्षेत्र

30/8/23
क्षेत्रीय महाप्रबंधक
एसईसीएल कोरबा क्षेत्र

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वन मण्डल, कटघोरा

Under jurisdiction of Bilaspur Court only

साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED

(कोल ईण्डिया का एक अंश/A Subsidiary of Coal IndiaLtd.)

कार्यालय महाप्रबंधक,कोरबा क्षेत्र

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER

KORBA AREA

" A MINI RATNA COMPANY "

Regd. Office
SEEPAT ROAD,
POST BOX No: 60
BILASPUR (CG)

Tel: 07759-221041 (Off.)
Fax : 07759-249040

पो. कोरबा,
जिला कोरबा (छ.ग.)

PO: KORBA
DIST: KORBA (CG)

संदर्भ क्र:एसईसीएल / महाप्रबंधक / कोरबा / 2023 / 72

दिनांक: 30/08/2023

वचन पत्र

वन अधिकार मान्यता पत्र एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने बाबत्

साउथ इर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोरबा क्षेत्र जिला कोरबा (छ.ग.) लिखित रूप से वचन पत्र प्रस्तुत करता है कि बगदेवा भूमिगत परियोजना की अवेदित राजस्व वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वन अधिकार मान्यता पत्र एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र की कार्यवाही पूर्ण कर भारत सरकार, वन विभाग को जमा किया जाएगा।

30/8/23

उपक्षेत्रीय प्रबंधक
ढेलवाडीह–सिंघाली–बगदेवा उपक्षेत्र

क्षेत्रीय महाप्रबंधक
एसईसीएल कोरबा क्षेत्र

प्रदर्श "स"

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोरबा छत्तीसगढ़

क./127 /भू.अ./स.अ.भू.अ./2015 कोरबा दिनांक 15-1-2016

प्रमाण– पत्र

मेसर्स एस.ई.सी.एल. कोरबा को भूमिगत कोयला खदान कार्य हेतु कोरबा जिला में कटघोरा, वनमंडल अंतर्गत राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन हेतु, राजस्व वन भूमि 109.277 हेक्टेयर के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि (ग्राम सिंघाली में 48.234 हे.,ग्राम अभयपुर मे 9.513 हे. व ग्राम जवाली में 51.530 हे.) कुल रकबा 109.277 हेक्टेयर जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम सिंघाली, अभयपुर, जवाली तहसील कटघोरा में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 14.04.2015, 15.04.2015, 14.04.2015 (प्रदर्श–"अ") एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन (प्रदर्श–"ब") पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव. ग्राम सिंघाली, अभयपुर, जवाली के सरपंच श्री प्रहलाद सिंह, श्री चंदन सिंह, श्री विरेन्द्र पाल सिंह की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 14.04.2015, 15.04.2015, 14.04.2015 में रखा गया था, एवं इसमें 61, 60, 61 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता की पात्रता रखने वाले व्यक्ति है।

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार की मान्यता पत्र धारक का नाम	खसरा न.	रकबा(हे.में)
1	अभयपुर	महेन्द्र सिंह पिता बालक सिंह	283/1 से	0.202
2		शिवमंगल सिंह पिता बालक सिंह	283/1 से	0.202
3		शिवकपलाल सिंह पिता प्रेम सिंह	283/1 से	0.101
4		इंदलसिंह पिता बालक सिंह	283/1 से	0.101
5		रामसिंह पिता इतवार सिंह	180	0.121
6		बाबूसिंह पिता घासी सिंह	230	0.121
7	सिंघाली	शंकरसिंह पिता उमेदसिंह	8/1क से	0.324
8		प्रसादसिंह पिता बाबूलाल कंवर	8/1क से	0.101
9		अनंदसिंह पिता मनबोध सिंह	8/1क से	0.048
10		छत्रपाल सिंह पिता रामसिंह कंवर	8/1क से	0.283
11	जवाली	रंभा बाई /चमार सिंह	104/1 से	0.101
12		संता बाई/नारायण सिंह	104/1 से	0.101
13		शुकवार सिंह/गरूड़ सिंह	104/1 से	0.405
14		चंद्रकांती/सहदेव सिंह	104/1 से	0.162
15		चमार सिंह/कांति सिंह	104/1 से	0.283
16		पदुम सिंह/विश्वनाथ सिंह	104/1 से	0.121
17		समारू सिंह/अंधियार सिंह	104/1 से	0.607
18		देवेन्द्र प्रताप सिंह/शिवकाविलास सिंह	104/1 से	0.162
19		पावल सिंह/इतवार सिंह	104/1 से	0.121

[illegible]		कमल सिंह/भंवर सिंह	104/1 से	0.121
[illegible]		लच्छी सिंह/भगत राम	104/1 से	0.121
22		कनकन सिंह/भगत राम	104/1 से	0.121
23		दुहन सिंह/दुलार सिंह	109/1 से	0.324
24		रंजीत कुमार /मुकुंद सिंह	109/1 से	0.283
25		नंदू/बोधन	113/1 से	0.283
26		हडारन सिंह/भवनाथ सिंह	113/1 से	0.283
27		बिरझू/ लक्ष्मण सिंह	113/1 से	0.809
28		नोहर सिंह/सुकलाल	113/1 से	0.081
29		बिहारी लाल/सहोरन लाल	113/1 से	0.243
30		कमरछट/बुधराम	113/1 से	0.405
31		छेंदराम/लखन	113/1 से	0.121
32		रामलाल/घोधीराम	113/1 से	0.121
33		मोहन/जगेसर	113/1 से	0.202
34		जयलाल/बीरसाय	113/1 से	0.165
35		छतराम/रिखीराम	108/1 से	0.283
36		मिलन राम/मछेलराम	108/1 से	0.283
			109/1 से	0.028
37		चमरा राम/जनीराम	193/1 से	0.081
38		सुकवारो बाई/मुकुतराम	190/1 से	0.202
39		बेदूराम/अनंदकुंवर	190/1 से	0.324
40		विशाल सिंह /सुखीराम	190/1 से	0.383
41		सुन्दर सिंह/ मनोहर सिंह	190/1 से	0.121
योग :–				9.055

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 09.08.2015 एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 15.04.2015, 14.04.2015, 14.04.2015 के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी.जी) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार " अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पंरपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 09.08.2015 एवं ग्राम सभा के दिनांक 15.04.2015, 14.04.2015, 14.04.2015 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पंरपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006" की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई विद्यमान नहीं है।

सलग्न– उपरोक्तानुसार

दिनांक

कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला कोरबा
(छत्तीसगढ़)

//3//

पृ. क./128 /भू.अ./स.अ.भू.अ./2015 कोरबा दिनांक 15-1-2016

प्रतिलिपिः–

1. सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डलाधिकारी कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. कोरबा की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर 08/01/16

एवं

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिलाध्यक्ष

कोरबा (छत्तीसगढ़)